**भारत सरकार**
**सूचना और प्रसारण मंत्रालय**
**राज्य सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या 67**
**(दिनांक 19.07.2021 को उत्तर देने के लिए)**

## ओवर द टॉप प्लेटफार्मों पर तंबाकू का चित्रण

**67. श्री संजय सिंह:**

**क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

(क) क्या अमेज़ॉन प्राइम, हुलु, हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स, सोनी लिव, ऑल्ट बालाजी, एएमएक्स प्लेयर, बूट, इत्यादि जैसे ओवर-द-टॉप प्लेटफार्मों पर तंबाकू के उपयोग के प्रदर्शन को विनियमित करने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या फिल्मों और टेलीविजन कार्यक्रमों में तंबाकू उत्पादों के प्रदर्शन और उनके उपयोग को विनियमित करने के लिए ओटीटी प्लेटफॉर्मों से सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) नियम, 2003 का अनुपालन कराने हेतु कोई कदम उठाए गए हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है?

**उत्तर**
**सूचना और प्रसारण; और युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री**
**(श्री अनुराग सिंह ठाकुर)**

**(क) से (घ):** भारत सरकार ने 25.02.2021 को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 अधिसूचित किए हैं, जिनमें डिजिटल मीडिया पर समाचार और समसामयिक मामलों के प्रकाशकों और ऑनलाइन सृजित सामग्री (ओटीटी प्लेटफॉर्म) के प्रकाशकों द्वारा अनुपालन की जाने वाली आचार संहिता और नागरिकों की शिकायतों के निवारण के लिए एक संस्थागत तंत्र का प्रावधान है। नियमों की अनुसूची में नशीले पदार्थों, शराब, धूम्रपान और तंबाकू के चित्रण सहित सामग्री के वर्गीकरण संबंधी सामान्य दिशानिर्देश शामिल हैं।

*****